दिनांक- 01.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 118/26

महोबा पुलिस

सर्किल -कुलपहाड़, थाना - पनवाड़ी

थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के पर्यवेक्षण में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में गठित टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई।

उक्त क्रम में उ0नि0 सुधीर कुमार मय हमराह का0 राममिलन सिंह द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त देवपाल पुत्र आशाराम लोधी, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम नकरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध मु0नं0 33/2019 एवं मु0अ0सं0 238/2018 धारा 323, 504, 506 भादवि के अंतर्गत वारंट लंबित था। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को ग्राम नकरा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

देवपाल पुत्र आशाराम लोधी, उम्र लगभग 32 वर्ष निवासी ग्राम नकरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 सुधीर कुमार, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
2. आरक्षी राममिलन सिंह, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

दिनांक- 01.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 119/26

महोबा पुलिस

सर्किल -कुलपहाड़, थाना - अजनर

थाना अजनर की पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने तथा वांछित/वारण्टी एवं जिला बदर अपराधियों की चेकिंग अभियान के क्रम में थाना अजनर पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई।

उक्त अभियान के अंतर्गत थानाध्यक्ष थाना अजनर श्री सुभाष चन्द्र द्वारा गठित पुलिस टीम, जिसमें उ0नि0 दिनेश सिंह चन्देल, का0 अमन यादव, का0 करन जायसवाल व रि0का0 शिवम पाण्डेय द्वारा माननीय न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू वारंट से संबंधित वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक अहिरवार पुत्र छक्की अहिरवार, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम खमा थाना अजनर जनपद महोबा है, जो मु0अ0सं0 199/2018 धारा 302, 34, 323, 504 भादवि से संबंधित मामले में वारण्टी था। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को ग्राम बिजौरी से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अपराध विवरण:

एनबीडब्ल्यू संबंधी मु0अ0सं0 199/2018 धारा 302, 34, 323, 504 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त:

अभिषेक अहिरवार पुत्र छक्की अहिरवार, उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम खमा थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 दिनेश सिंह चन्देल, थाना अजनर जनपद महोबा
2. का0 अमन यादव, थाना अजनर जनपद महोबा
3. का0 करन जायसवाल, थाना अजनर जनपद महोबा
4. रि0का0 शिवम पाण्डेय, थाना अजनर जनपद महोबा

दिनांक- 01.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 120/26

महोबा पुलिस

सर्किल -कुलपहाड़, थाना - अजनर

थाना अजनर की पुलिस टीम ने

अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण में जनपद में अवैध शस्त्रों की बिक्री पर अंकुश लगाने तथा अवैध शस्त्र चेकिंग अभियान के क्रम में थाना अजनर पुलिस द्वारा सफल कार्यवाही की गई।

थानाध्यक्ष अजनर श्री सुभाष चन्द्र द्वारा गठित टीम (उ0नि0 ऋषी शुक्ला, उ0नि0 कृष्ण मुरारी मिश्रा व रि0कां0 सुरज) द्वारा मुखबिर की सूचना पर मवइया मोड़ स्थित यात्री प्रतीक्षालय, के पास से एक नफर अभियुक्त बहादुर यादव पुत्र अमर सिंह, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी ग्राम कैथोरा थाना अजनर जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना अजनर पर मु0अ0सं0 88/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :

1.उ0नि0 ऋषी शुक्ला, 2. उ0नि0 कृष्ण मुरारी मिश्रा 3.रि0कां0 सूरज, थाना अजनर जनपद महोबा

अभियुक्त का विवरण :

बहादुर यादव पुत्र अमर सिंह, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी ग्राम कैथोरा थाना अजनर जनपद महोबा

बरामदगी :

- 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर (नाजायज)
- 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर (नाजायज)

दिनांक- 01.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 121/26

महोबा पुलिस

सर्किल -नगर, थाना - खन्ना

थाना खन्ना की पुलिस टीम ने 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोबा श्री अरुण कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना जनपद महोबा के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में पुलिस टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के क्रम में उ0नि0 हीरामणि तिवारी मय हमराह हे0का0 हरदेव सिंह परिहार व रि0आ0 प्रवेश मिश्रा द्वारा मु0अ0सं0 37/2024 धारा 323, 504, 506 भादवि के अंतर्गत माननीय न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) महोबा द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू वारंट में लंबित 02 नफर वारण्टी अभियुक्तगण 1. शम्भू उर्फ शबलू पुत्र कामता 2. संदीप पुत्र कामता, उम्र लगभग 21 वर्ष निवासीगण ग्राम सिरसीकला थाना खन्ना जनपद महोबा को पुलिस टीम द्वारा दोनों अभियुक्तों को ग्राम सिरसीकला से गिरफ्तार किया गया।

आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

1. शम्भू उर्फ शबलू पुत्र कामता निवासी ग्राम सिरसीकला थाना खन्ना जनपद महोबा
2. संदीप पुत्र कामता, उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम सिरसीकला थाना खन्ना जनपद महोबा

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 हीरामणि तिवारी, थाना खन्ना जनपद महोबा
2. हे0का0 हरदेव सिंह परिहार, थाना खन्ना जनपद महोबा
3. रि0आ0 प्रवेश मिश्रा, थाना खन्ना जनपद महोबा

दिनांक- 01.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 122/26

महोबा पुलिस

सर्किल -कुलपहाड़, थाना – कुलपहाड़

थाना कुलपहाड़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई– लाठी-डंडों से मारपीट कर वृद्ध की हत्या के मामले में 02 अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने तथा वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुलपहाड़ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 29.05.2026 को वादी मलखान पुत्र छिदिया निवासी मोहल्ला नयापुरा, कस्बा जैतपुर, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा द्वारा थाना कुलपहाड़ पर लिखित तहरीर दी गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी के पिता छिदिया के साथ गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट की गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना कुलपहाड़ पर मु0अ0सं0 113/2026 धारा 191(2)/115(2)/103(1)/352/351(3)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक द्वारा गठित पुलिस टीम द्वारा सफल कार्यवाही करते हुए घटना में संलिप्त 02 नफर अभियुक्त 1. धन्नी रैकवार पुत्र हल्काई रैकवार, उम्र लगभग 72 वर्ष 2.मनोज रैकवार पुत्र धन्नी रैकवार, उम्र लगभग 21 वर्ष निवासीगण मोहल्ला नयापुरा, कस्बा जैतपुर बेलाताल, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त मनोज रैकवार की निशानदेही पर एक अदद आलाकत्ल (बांस की लाठी) घुसियाना मोहल्ला बेलाताल के आगे नहर पुलिया के पास से बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1.प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा
2.उपनिरीक्षक/प्रभारी चौकी बेलाताल सुजीत कुमार जायसवाल
3.मु0आ0 सुमित कुमार यादव
4.का0 दिनेश सिंह सेंगर
5.का0 अनुराग यादव
6.म0का0 पूर्णिमा

अपराध विवरण:

मु0अ0सं0 113/2026 धारा 191(2)/115(2)/103(1)/352/351(3)/3(5) बीएनएस